

**धारा 80(1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु जांच आव्याप ---**

**प्रपत्र 25 (क)**

**भाग -1 (ख)-आवेदक भूमि धर का विवरण**

Computer Case Number –

1.01	आवेदक भूमिधर का नाम	
1.02	पिता/पति/सरंक्षक का नाम	
1.03	आवेदक का पता	
1.04	आवेदक का आधार नम्बर	
1.05	आवेदक का मोबाइल नम्बर	
1.06	आवेदक का ई - मेल (यदि हो )	

			अभियुक्ति
1.07	क्या धारा 80(1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु प्रस्तावित भूमि का सम्मिलित खाता है ?	हाँ / नहीं	
1.08	यदि सम्मिलित खाता है , तो क्या सभी सह - खातेदारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र उपलब्ध है ?	हाँ / नहीं	
1.09	क्या सभी सह खातेदारों द्वारा नजरी नक्सा पर हस्ताक्षर / निशानी अंगुठा लगाया गया है ?	हाँ / नहीं	
1.10	क्या आवेदक द्वारा प्रस्तावित गाटे पर किया जा रहा गैर कृषिक उपयोग आवेदन के अनुरूप है ?	हाँ / नहीं	

**भाग 2- (ख) - गैर - कृषिक उपयोग हेतु घोषणा के लिए प्रस्तावित गाटे / गाटो का विवरण**

2.01	जिला	
2.02	तहसील	
2.03	परगना	
2.04	राजस्व ग्राम	
2.05	फसली वर्ष	
2.06	खाता संख्या	
2.07	खाते में सम्मिलित गाटो की संख्या जिनके सम्बन्ध में घोषणा प्रस्तावित है	

क्रम स.	गाटा संख्या	गाटे का यूनिक कोड	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे)	क्या गाटे के सम्पूर्ण क्षेत्रफल की घोषणा होनी है अथवा उसके किसी भाग की (पूर्ण /आंशिक )	गाटे का क्षेत्रफल जिसका गैर कृषिक घोषित किया जाना है (हे ).	वर्तमान में भू-उपयोग (आवासीय /वाणिज्यिक /अधौर्गिक )	प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट (रूपये प्रति हे )	गैर - कृषिक घोषणा हेतु शुल्क (१ प्रतिसत )जो जमा किया जाना आपेक्षित है  (6)*(8)*1/100 रूपये
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### भाग 3 (ख )- सह खातेदारों का विवरण

		आवेदक द्वारा दी गयी सुचना से सहमत / असहमत
3.0	सह – खातेदारों की संख्या	
3.11	1-सह खातेदार का नाम	
3.12	पिता/ पति /सरकार का नाम	
3.13	पता	
3.14	आधार नम्बर	
3.21	2-सह खातेदार का नाम	
3.22	पिता/ पति /सरकार का नाम	
3.23	पता	
3.24	आधार नम्बर	

### भाग 4-क उदघोषणा की जाने वाली भूमि की विधिक स्थिति

4.01	क्या उदघोषणा हेतु प्रस्तावित गेट / गाटो के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के किसी भी राजस्व न्यायालय में किसी धारा के अन्तर्गत कोई वाद विचाराधीन है ? यदि हां तो वाद की कम्पुटर वाद संख्या	हां /नहीं
4.02	क्या प्रस्तावित गेट / गाटो के उपयोग के सन्दर्भ में धारा 133 द .प्र. स के अंतर्गत पूर्व में कोई वाद संस्थित हुआ था ? यदि हां तो --	हां /नहीं
	न्यायालय का नाम	
	वाद संख्या	
	क्या सक्रम न्यायालय द्वारा पारित कोई आदेश / निषेधाज्ञा वर्तमान में प्रभावी है ? यदि हां तो आदेश का दिनांक	हां /नहीं
4.03	क्या प्रस्तावित गेट / गाटो के उपयोग के सन्दर्भ में धारा 133 द .प्र. स के अंतर्गत पूर्व में कोई वाद संस्थित हुआ था ? यदि हां तो --	हां /नहीं
	न्यायालय का नाम	
	वाद संख्या	
	क्या सक्रम न्यायालय द्वारा पारित कोई आदेश / निषेधाज्ञा वर्तमान में प्रभावी है ? यदि हां तो आदेश का दिनांक	हां /नहीं
4.04	क्या धरा 80(1) के अंतर्गत घोषणा हेतु प्रस्तावित गेट / गाटो कि अवस्थिति किसी स्थानीय निकाय अथवा प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी महायोजना के अंतर्गत है ?	हां /नहीं
	यदि हां तो घोषणा हेतु प्रस्तावित गेट / गाटो का उस उस महायोजना में प्रस्तावित प्रयोजन अथवा भू- उपयोग क्या है ?	

आवेदक द्वारा दी गयी सूचनाओं की संसंगत राजस्व अभिलेखों से पुष्टि की गयी तथा आवेदित भूमि का स्थलीय निरिक्षण किया गया व स्थानीय जांच की गयी | जांच के आधार पर प्रमाणित किया जाता है की :-

१-आवेदक , आवेदित भूमि का संक्रमण. भूमिधर है / नहीं है |

२-आवेदन पत्र में इंगित भूमि सार्वजनिक / सुरक्षित श्रेणी की भूमि है / नहीं है |

३-उक्त भूखण्ड /गाटो के सम्बन्ध में किसी राजस्व न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन है / नहीं है |

४--आवेदित भूमि को गैर - कृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है / नहीं की जाती है |

५ -यदि संस्तुति नहीं की जाती है तो विवरण / कारण अंकित किया जाए |

हस्ताक्षर

संस्तुति न किये जाने का कारण / विवरण (यथा आवश्यक अतिरिक्त पृष्ठ जोड़े जा सकते हैं |

#### निरिक्षणकर्ता अधिकारी ( राजस्व निरीक्षक / नायब तहसीलदार ) का नाम-----

पद नाम -राजस्व निरीक्षक -----परगना ----

तहसील-

जिला ---.

निरीक्षण का दिनांक -----

निरीक्षण के समय उपस्थिति अन्य / अधिकारियों / पक्षकारों /साक्षीगण का विवरण

क्र.सं	नाम व पद नाम	पता	हस्ताक्षर

निरिक्षण कर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर -

पदनाम	नाम	अभियुक्ति / संस्तुति
तहसीलदार		<p>(क) प्रस्तावित गाटे के सम्पूर्ण क्षेत्रफल / उसकी किसी भाग की घोषणा किये जाने की संस्तुति :-</p> <p>आवेदक श्री----- पिता / पति -----  -----भूमिधर द्वारा राजस्व संहिता ,2006 (यथा संसोधित ,2016 )  की धारा 80(1) के अंतर्गत अकृषिक घोषणा हेतु प्रस्तुत गाटा संख्या -----  खतौनी खाता संख्या -----यूनिक गाटा संख्या -----  -----के क्षेत्रफल----- हे का गैर - कृषिक उपयोग के लिए घोषणा की  संस्तुति की जाती है  </p>

हस्ताक्षर तहसीलदार

वित्तीय नियम संग्रह खंड -5 ,भाग -2  
 प्रपत्र संख्या - 43 ए , (1) प्रस्तर 417 व 478 देखिये )  
 धनराशी जमा करने का चालान फॉर्म

उपकोषागार / बैंक का का नाम शाखा - भारतीय स्टेट बैंक -----

1	जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो ) या संस्था का नाम से धनराशी जमा की जा रही हो उसका नाम											
	पता											
	पंजीकरण संख्या /पक्ष का नाम / वाद संख्या (यदि आवश्यक हो )											
4	जमा की गयी धनराशी का पूर्ण विवरण (धनराशी किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है )											
5	चालान की सकल राशि											
6	चालान की निबल राशि											
7	लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखा शीर्षक का मुहर											
8	लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड											
मुख्य लेखा शीर्षक	उपमुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उपशीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक								
0	0	2	9	0	0	1	0	1	0	6	0	2

धनराशी अंको में -----

योग -----

धनराशी शब्दों में -----

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगयार्थ

चालान संख्या ----- अंको में रूपये -----

दिनांक ----- शब्दों में -----

उपकोषागार की मुहर

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर